लोक–सुनवाई का वृत

मेसर्स बलराज सिंह, प्रो0 श्री बलराज सिंह, पिता–श्री सोनेलाल सिंह, वार्ड सं0–4, मधुरापुर, जिला–सीतामढ़ी द्वारा बागमती नदी के यूनिट–2 परसौनी घाट, मौजा–अख्ता, अंचल–बैरगैंनिया, जिला–सीतामढ़ी में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस. ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के आलोक में दिनांक–14.09.2023 को अपराह्न 03:00 बजे प्रखण्ड सभागार, प्रखण्ड–बैरगैंनिया, जिला–सीतामढ़ी के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस. ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या SIA/BR/MIN/434566/2023 दिनांक–01.0.7.2023 के आलोक में श्री अमरेन्द्र शाही, अपर समाहर्ता (जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि) सीतामढ़ी की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

प्रसंगाधीन लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा–हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के माध्यम से दिनांक–10.08.2023 को प्रकाशित की गयी है **(छायाप्रति संलग्न)**। लोक सुनवाई के दौरान श्री एस0एन0 ठाकुर, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, मुजफ्फरपुर के द्वारा अपर समाहर्ता महोदय, खनिज विकास पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय एवं अन्य पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक–सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव / आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया। इनके द्वारा पर्यावरण सलाहकार को निदेश दिया गया कि परियोजना से संबंधित प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए गये उपायो के बारे में संक्षिप्त रूप से उपस्थित लोगों को अवगत करायी जाय।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री शत्रुघ्न प्रसाद ने प्रस्तावित बालू खनन परियोजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया गया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि–

1. यह बालू खनन पट्टा बागमती नदी के यूनिट–2 परसौनी घाट, मौजा–अख्ता, अंचल–बैरगैंनिया, जिला–सीतामढ़ी में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री बलराज सिंह, पिता सोनेलाल सिंह को इस खनन पट्टा के लिए वैधान्तिक स्वीकृति आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा यूनिट–2 परसौनी घाट से प्रतिवर्ष 98,400 घन मीटर या 1,46,616 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत 170.94 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के यूनिट–2 परसौनी घाट को सम्मिलित किया गया है।
2. बालू खनन पट्टा के सीमा के अन्दर ''वैज्ञानिक विधि'' तथा अनुमोदित ''खनन योजना'' के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाए गए है।
3. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोइ नुकसान नहीं होगा।
4. खनन का कार्य केवल 1 मीटर गहराई तक अथवा भूगर्भीय जल सतह के उपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी या वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। इस मार्ग के रख–रखाव का दायित्त्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे–मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं की सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लेखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है, जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य पेड़ लगाएं जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पॉच वर्षो तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण के मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दवाब वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही

रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निकासी किया जाएगा।

9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूलकणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। नदी से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र किया जाएगा। बालू (खनिज) से रिसने वाला जल, मार्गों को जलमग्न नहीं कर दे, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। बालू (खनिज) में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन को शमन करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का ही उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा।
11. खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
12. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराएगा एवं समय–समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं–

क्र0सं0	प्रतिक्रिया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री अमोद कुमार, गोविन्दपुर एवं श्री उदय कुमार सिंह, सोना खान अख्ता–इनके द्वारा सूचित किया गया कि पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण सुरक्षा के लिए बताए गये उपाय को बालू खनन संवेदक द्वारा किये जाने से हमलोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा/समस्या नहीं होगी। बताये गये उपायों से हमलोग संतुष्ट है।	पर्यावरण सलाहकार द्वारा उपस्थित लोगों को बताया गया कि प्रदूषण नियंत्रण संबंधी बताये गये उपायों को बालू खनन संवेदक द्वारा अनुपालन करना अनिवार्य होगा; अन्यथा संबंधित विभाग द्वारा उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
2.	श्री रीतेश कुमार, रमनगरा–इनके द्वारा अनुरोध किया गया कि बालू को गीला कर एवं तिरपाल से ढक कर ढुलायी होना चाहिए। साथ ही कच्ची सड़क पर नियमित रूप से दिन में तीन–चार बार जल का	पर्यावरण सलाहकार द्वारा उपस्थित लोगों को बताया गया कि आपके अनुरोध अनुसार ही बालू खनन एवं परिवहन का कार्य किया जाएगा। साथ ही कच्चा सड़क पर नियमित रूप से

	छिड़काव होना चाहिए; ताकि वातावरण में धूल–कण फैलकर लोगों के लिए समस्या नहीं हो।	दिन में तीन–चार बार जल का छिड़काव किया जाएगा, जिससे वातावरण में धूल–कण फैलकर लोगों के लिए समस्या नहीं हो।
3.	श्री दीनानाथ पाठक, अख्ता–इनके द्वारा बताया गया कि दिन में सड़क पर बच्चे एवं जानवर आदि रहते है। बालू परिवहन करने से दूर्घटनाएँ होने की सम्भावना होगी। इसलिए बालू खनन एवं परिवहन का कार्य रात में किया जाना चाहिए।	खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा लोगों को बताया गया कि बालू खनन का कार्य रात्रि में करने का नियम नहीं है। बालू परिवहन का कार्य रात्रि में कर सकते हैं परन्तु आबादी वाले क्षेत्र में अनावश्यक हॉर्न का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
4.	श्री अमलेश मांझी, ग्राम–ढेंग–यहाँ के मांझी लोग बेरोजगार है। उन्हें रोजगार मिलना चाहिए।	खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा लोगों को बताया गया कि बालू खनन का कार्य एवं इसके परिवहन में प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोगों को रोजगार दी जाएगी, स्थानीय वाहन का उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगी।

लोक–सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता सह सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बालू एक नैसर्गिक स्रोत है जिसका संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्यधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इनकार नहीं किया जा सकता, साथ ही इसका समुचित निकासी से स्थानीय एवं राज्य स्तर पर आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण के सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपाए सुझाए गए हैं। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए। बालू खनन संवेदक द्वारा अंत में सभी लोगों को आश्वासन दिया गया कि पर्यावरण सलाहकार, प्रदूषण नियंत्रण पदाधिकारी एवं खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाएगा।

लोक–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से बालू घाट से खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया, तत्पश्चात् लोक–सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

25/9/2023

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्
मुजफ्फरपुर।

20-09-2023

अपर समाहर्ता
सीतामढ़ी।

उपस्थिति सूची

मेसर्स बलराज सिंह, प्रो0 श्री बलराज सिंह, पिता श्री सोनेलाल सिंह, वार्ड नं0–04, मधुरापुर, जिला–सीतामढ़ी–843315 द्वारा बागमती नदी के मौजा–अखता, प्रखण्ड–बरगैंनिया (यूनिट–02 परसौनी बालू घाट क्षेत्रफल–16.40 हेक्टेयर) जिला–सीतामढ़ी में बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 14.09.2023 को अपराह्न 3.00 बजे प्रखंड सभागार, बरगैंनिया, जिला–सीतामढ़ी में आयोजित लोक–सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	अमरेन्द्र शाही	अपर समाहर्त्ता (लोक शिकायत निवारण) -सह- जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सीतामढ़ी	[signature] 14.09.2023
2.	सम्पूर्णानंद ठाकुर	क्षे० पदा०, बि० रा० प्र० नियंत्रण पर्षद, मुजफ्फरपुर	[signature] 14.9.2023
3.	सचित प्रकाश	जिला खनन पदाधिकारी सीतामढ़ी	[signature] 14/9/23
4.	बलराज सिंह	सोनारखान अखता	बलराज सिंह
5.	सुनील प्रसाद सिंह	सोनारखान अखता	Sunil Prasad
6.	Shatrughan Prasad	Ocean – Enviro	S. Prasad. 14/09/2023.
7.	जीतेन्द्र सिंह	ग्राम नरकटिया	जीतेन्द्र सिंह
8.	प्रमोद कुमार	ग्रा० फरहद	प्रमोद कुमार
9.	रितेश कुमार	रमनगरा	रितेश कुमार
10.	उदय कुमार सिंह	सोनारखान अखता	उदय कुमार सिंह

11.	सुरेन्द्र कु० राम	रामपुर मो० ह०	सुरेन्द्र कुमार राम
12.	विनोद कु० सिंह	सोनाखान आरक्षा	विनोद कु० सिंह
13.	मंजीत कुमार	सोनारखान	मंजीत कुमार
14.	अमलेश माझी	ढेंगा	अमलेश माझी
15.	शत्रुघ्न मांझी	ढेंगा	शत्रुघ्न मांझी
16.	बजरंगी कुमार	रमनगरा	बजरंगी
17.	संतोष कुमार उपाध्याय	अरवला	[illegible]
18.	मुन्ना कुमार सिंह	सोनारखान	मुन्ना कुमार सिंह
19.	सुरेश राम	अल्लागंज ढेंगा	सुरेश राम
20.	उमेश	ढेंगा	अमित सिंह
21.	Gopal Shran	रमनगरा	Gopal Shran
22.	सुबोध कुमार	अरवला	सुबोध कुमार
23.	उपेन्द्र राम	अरवला	उपेन्द्र राम
24.	संजय यादव	संजय नगर अ[illegible]	संजय यादव
25.	मोहन साह	सोनाखान	मोहन साह

26.	हरण महतो	अरवता	हरण महतो
27.	नितेश यादव	सोनाखान	नितेश यादव
28.	रोहित कुमार सिंह	सोनाखान	रोहित कुमार सिंह
29.	नितेश कुमार	सोनाखान	नितेश कुमार
30.	चौ तबसाद	आवता	चौ तबसाद
31.	मिथुन राम	अलौगी	मिथुन राम
32.	हरिओम कुमार	असौली	हरिओम कुमार
33.	दीनानाथ मांझी	आवता	दीनानाथ मांझी
34.	Lalbabu kumar	R.O. office, Muzaffarpur	Lalbabu
35.	जयकुमार पासवान	अरवता	जयकुमार पासवान
36.	Silandar kumar	Akhta	Sikandar kumar
37.	मिन्टु पासवान	अरवता	मिन्टु पासवान
38.	Ajay Ku. Singh	Sonakhan	Ajay Ku Singh
39.			
40.			